न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
(डिक्री मुकदमा इब्तादाई)

उनवान

द्वारका प्रसाद पुत्र भूरा जाति मीना निवासी भगवानपुरा तह0 उनियारा जिला टोंक

– वादी

बनाम

1.राज0 सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक
2.तहसीलदार उनियारा जिला टोंक

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उदघोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :– 149 वर्ष 2011

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री सुभाषचन्द शर्मा, आर0ए0एस0 ब हाजरी श्री बी0यू0 खान वकील वादी मिनजानिब मुददई व नायब तहसीलदार उनियारा पेरोकार राज पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है वादी को आराजी ख0न0 61/0.37 व ख0न0 63 मे से 0.32 कुल किता 2 कुल रकबा 0.69 है वाके ग्राम भगवानपुरा तहसील उनियारा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा को इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड मे अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। फरिकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24 माह 07 सन् 2015 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

Scanned by CamScanner

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम 20)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोंक)

[illegible] बनाम [illegible]

किस्म मुकद्दमा........दावा........नम्बर 149 सन्..2

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
25-7-2015

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत में पेश हुई। वादी वकील व पेरोकार सरकार उपस्थित। पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार उनियारा से जवाब लिया गया। दोनों पक्षों को सुना गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। मुताबिक आवंटन आदेश दि 25-6-83 वादी को शामिल आराजी ख० न० 126 वाके ग्राम [illegible] में 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि आवंटन हुई है। जिसका हाल राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज नहीं किया गया है। नकल मिसल बंदोबस्त के अनुसार शामिल आराजी ख० न० 126 के नये नम्बर 61 व 63 बने हैं, जो हाल राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज है। नायब तहसीलदार उनियारा ने अपने जवाब में भी हाल आराजी ख० न० 61 व 63 में आवंटन की हद तक 2 बीघा 15 बिस्वा को [illegible] हद तक रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने में अपनी आपत्ति प्रकट नहीं की है

Scanned by CamScanner

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय राजस्व
लोक अदालत की भावना से पक्षकारान
रखते हुए वादी का वाद डिक्री किया
जाना उचित समझता है अतः वाद वादी
डिक्री किया जाता है। वादी को आराजी खसरा
61 रकबा 0-37 व खसरा नं. 63 में से
रकबा 0-69 में से 0-32 कुल किता 2 कुल
डाबला
हैक्टर वाके ग्राम ~~भगवानपुरा~~ तहसील उनियारा
का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता
है। तहसीलदार उनियारा को इसी अनुरूप
राजस्व रेकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश
दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो। फरीकैन
खर्चा अपना-2 वहन करें। पत्रावली फैसलशुदा
होकर [illegible] रूप से हो तथा दफ्तर दाखिल हो।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

Scanned by CamScanner